रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2012/ज्येष्ठ 9, 1934

No. 243] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2012/JYAISTHA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2012

सा.का.नि. 405(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संकर्म और आवास मंत्रालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय में बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय बहु–कार्य कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबंध अनूसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्तियां** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतन मान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतियों पर भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में वे श्रेणियां जिसे प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
बहुकार्य कर्मचारि वृन्द	80* (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतनबैंड - 1 5,200-20,200/- रु और (ग्रेड वेतन 1,800/- रु)	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच। टिप्पण : आयु सीमा का निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के	मैंट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य उतीर्ण। कर्तव्यों की प्रकृति:- कर्तव्यों में व्यापकत: निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (क) अनुभाग के अभिलेख का वास्तविक रूप से रख-रखाव; (ख) अनुभाग/यूनिट की साधारण स्वच्छता और रख-रखाव; (ग) भवन के भीतर फाईलों और अन्य कागज पत्रों का वहन; (घ) फोटो कापी करना, फेक्स आदि भेजना;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 12.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/6/2009-स्थापना (भर्ती नियम) के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से)।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) निदेशक (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन), महा निदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग - सदस्य (3) सम्पदा	लागू नहीं होता

	किया जा सकता है				नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिलों और चम्बा के जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए यह अंतिम तारीख नहीं होगी)। रोजगार केन्द्र के माध्यम से भर्ती किए जाने के मामले में आयु सीमा का निर्धारण करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार केन्द्र को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पत्रों का वहन; (घ) फोटो कापी करना, फेक्स आदि भेजना; (ङ) अनुभाग/यूनिट में अन्य गैर-लिपिकीय कार्य; (च) डायरी, करने प्रेषण आदि जिसमें कम्प्यूटर पर इन्हें करना भी सम्मिलित है, जैसे दैनिक कार्यालय के कार्य में सहायता करना (छ) डाक का वितरण करना (भवन से बाहर) (ज) निगरानी रखना और चौकीदारी करना। (झ) कमरों को खोलना और बंद करना। (ञ) कमरों की सफाई करना। (ट) भवन और उसके फिक्सचरों को साफ करना आदि। (ठ) उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य। टिप्पण : उपरोक्त कर्तव्यों की सूची निदर्शी है और संपूर्ण नहीं है।			के माध्यम से)।		निर्माण विभाग - सदस्य (3) संपदा निदेशक-II, सम्पदा निदेशालय- सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो जबतक कि क्रमांक 1 से 3 पर सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं हो।	

[फा. सं. ए-12018/01/10-प्रशासन-IV]

विजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2012

G.S.R. 405(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Works and Housing (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Urban Development, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.** - The number of posts, its classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule.

1939 46/12-2

4. **Disqualifications.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or categories of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classifi-cation	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether select-ion post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff	80* (2012) *Subject to variation depen-dent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministe-rial	Pay Band-1 Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs.1800/-	Not applic-able	Between 18 and 25 years of age. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the	Matriculation or equivalent pass. **Nature of Duties:** The duties would broadly include: (a)Physical Maintenance of records of the Section; (b) General cleanliness and upkeep of the Section/ Unit; (c) Carrying of files and other papers within the building; (d) Photocopying, sending of FAX, etc.; (e) Other non-clerical work in the Section/ Unit;

					Employment Exchange is asked to submit the names.	(f) Assisting in routine office work like diary, dispatch, etc., including on computer; (g) delivering of dak (outside the building); (h) Watch and ward duties; (i) Opening and closing of rooms; (j) Cleaning of rooms; (k) Dusting of furniture, etc.; (l) Cleaning of building, fixtures, etc.; m) Any other work assigned by the superior authority. Note: The above list of duties is only illustrative and not exhaustive.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment (through Staff Selection Commission in view of Department of Personnel and Training, Office Memorandum No.AB-14017/6/2009-Eetablishment (Recruitment Rules) dated 12.05.2010)	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: (1)Director (Administration), Ministry of Urban Development — Chairman (2) Director (Administration), Directorate General, Central Public Works Department-- Member (3) Director of Estates-II,	Not applicable

				Directorate of Estates--Member (4) An Officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category not below the level of Under Secretary to the Government of India, unless one of the members at Serial Number 1 to 3 belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribes.	

[F. No. A-12018/01/10-Admn. IV]

VIJAY KUMAR SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.